संख्या-288/2020/4329/41-2020-02(बजट)/2018

प्रेषक,

शिव पाल सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग — लखनऊ, दिनांक, 26 नवम्बर 2020

विषय- **जनपद हरिद्वार, उत्तराखण्ड के होटल अलकनन्दा परिसर में 100 कक्षों के नवीन पर्यटक आवास गृह (होटल) के निर्माण की परियोजना हेतु चतुर्थ किश्त की स्वीकृति।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-3987/6-1-1(09)/मु0मं0घो0/2018-19, दिनांक 21 नवम्बर, 2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार, उत्तराखण्ड के होटल अलकनन्दा परिसर में 100 कक्षों के नवीन पर्यटक आवास गृह (होटल) के निर्माण की परियोजना के कार्य हेतु चयनित कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लि0 द्वारा गठित आगणन के सापेक्ष शासनादेश संख्या-107/2018/1828/41-2018-02(बजट)/2018 दिनॉक 26 मई, 2018 द्वारा रू0 26,54,74,000.00 (रूपये छब्बीस करोड़ चौवन लाख चौहत्तर हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं प्रथम किश्त के रूप में रू0 5,00,00,000.00 (रूपये पॉच करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी। तत्पश्चात शासनादेश सं0-199/2019/2017/41-2019-02(बजट)/2018 दिनांक 19-7-2019 द्वारा द्वितीय किश्त के रूप में रू0-1100 लाख एवं शासनादेश सं0-239/2020/2834/41-2020-02(बजट)/2018 दिनांक 22-10-2020 द्वारा तृतीय किश्त के रूप में रू0 398.21 लाख (रूपये तीन करोड़ अठ्ठानवे लाख इक्कीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गई।

3- तदनन्तर विभिन्न कारणों से प्रायोजना की लागत में वृद्धि होने के कारण महानिदेशक पर्यटन द्वारा उपलब्ध कराये गये पुनरीक्षित आगणन/ प्रस्ताव क्रम में व्यय वित्त समिति की बैठक दिनांक 19-8-2020 में मूल्यांकित लागत के क्रम में शासनादेश सं0-255/2020/1712/41-2020-02(बजट)/2018 दिनांक 6 नवम्बर 2020 द्वारा प्रायोजना की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति रू0-3261.15 लाख निर्गत की गई , परन्तु पुनरीक्षित आगणन में सम्मिलित उच्च विशिष्टियों के अनुसार प्रायोजना का कार्य कराये जाने का पुनर्विचार किये जाने के उपरान्त व्यय वित्त समिति की बैठक दि0- 18-11-2020 में प्रायोजना की पुनर्मूल्यांकित लागत रू0-3430.96 लाख आंकलित की गई है , जिसके क्रम में महानिदेशक ,पर्यटन द्वारा प्रायोजना हेतु 03 किश्तों में निर्गत की गई धनराशि रू0-1998.21 लाख के सापेक्ष रू0-1865.30 लाख का उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराते हुये व्यय वित्त समिति की बैठक दिनांक-18-11-2020 में **उच्च विशिष्टियों को सम्मिलित करते हुये आंकलित की गई लागत रू0-3430.96 लाख के सापेक्ष अवशेष धनराशि को एकमुश्त अवमुक्त करने** का अनुरोध किया गया है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4- उपर्युक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि व्यय वित्त समिति की बैठक दिनांक-18-11-2020 में की गई संस्तुति के क्रम में प्रायोजना की संशोधित पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति निर्गत किये जाने की कार्यवाही अभी विचाराधीन है ,अत: उक्त के दृष्टिगत प्रश्नगत चालू प्रायोजना के अग्रतर कार्यों को कराये जाने हेतु सम्प्रति शासनादेश सं0-255/2020/1712/41-2020 -02 (बजट)/2018 दिनांक 6 नवम्बर 2020 द्वारा निर्गत की गई प्रायोजना की **पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति रू0-3261.15 लाख के सापेक्ष अवशेष धनराशि में से चतुर्थ किश्त के रूप में रू0 489.17 लाख (रूपये चार करोड़ नवासी लाख सत्रह हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल सहर्ष इस प्रतिबन्ध सहित प्रदान करते हैं कि व्यय वित्त समिति की बैठक दिनांक-18-11-2020 में मूल्यांकित लागत रू0-3430.96 लाख के अनुसार संशोधित पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति होने के उपरान्त ही प्रायोजना के प्रस्तावित उच्च विशिष्टियों के कार्य कराये जायेंगे।** प्रश्नगत स्वीकृति के अन्य प्रतिबन्ध एवं शर्तें निम्नलिखित हैं:-

(1) प्रश्नगत परियोजना हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि को कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत प्रायोजना हेतु शासनादेश संख्या-107/2018/1828/ 41-2018-02(बजट)/2018 दिनॉक 26 मई, 2018 ,शासनादेश सं0-199/2019/2017/41-2019-02(बजट)/2018 दिनांक 19-7-2019 , शासनादेश सं0-239/2020/2834/41-2020-02(बजट)/2018 दिनांक 22-10-2020 एवं शासनादेश सं0-255/2020/1712/41-2020-02(बजट)/2018 दिनांक 6 नवम्बर 2020 में अंकित शर्तों व प्रतिबन्धों का अनुपालन पूर्णतया कराते हुए निर्माण कार्य कराया जा रहा है। प्रश्नगत प्रायोजना के अग्रतर कार्यों में उक्त शासनादेश में निहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(2) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-149/दस-2020-231/2019, दिनांक 24 मार्च, 2020,शासनादेश सं0-4/2020/बी-1-192/दस-2020-231/2020 दिनांक 7-4-2020 , शासनादेश सं0-5/2020/बी-1-196/दस-2020-231/2020 दिनांक 11-4-2020 एवं शासनादेश सं0-6/2020/बी-1-218/दस-2020-231/2020 दिनांक 18-5-2020 में निहित शर्तों एवं प्राविधानों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि जिस कार्य/मद हेतु प्रदान की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा, अर्थात् स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं किया जायेगा। उक्त कार्यों को अनुमोदित लागत की सीमान्तर्गत ही कराया जायेगा तथा कार्यदायी संस्था को अनुमोदित लागत के अतिरिक्त कोई अन्य धनराशि/चार्जेज नही दिया जायेगा।

(3) प्रायोजना के निर्माण कार्य में वस्तु एवं सेवाकर (जी0एस0टी0) की धनराशि कार्यदायी संस्था को वास्तविक भुगतान के अनुसार नियमानुसार अनुमन्य होगी तथा इस सम्बन्ध में कार्यदायी संस्था द्वारा जी0एस0टी0 भुगतान के सम्बन्ध में प्रामाणिक प्रपत्र सक्षम स्तर से महानिदेशक पर्यटन के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त लेबरसेस के रूप में प्रदान की गयी धनराशि श्रम विभाग को भुगतान किये जाने का प्रमाण पत्र कार्यदायी संस्था से प्राप्त कर शासन को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ उपलब्ध कराया जायेगा ।

(4) यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यों की गुणवत्ता उच्चकोटि की हो तथा समय-समय पर कार्यदायी संस्था द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यों का पर्यवेक्षण (मानीटरिंग) महानिदेशक, पर्यटन द्वारा सुनिश्चित कराया जाय। स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहरित कर आहरण के बाउचर संख्या एवं तिथि की सूचना शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा वित्त विभाग के संगत नियमों के अनुसार किया जायेगा। वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 24 मार्च 2020 के प्रस्तर-2(9)(ड) में दी गयी व्यवस्थानुसार प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा दो-दो माह की आवश्यकता के लिए आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरण कर

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी तथा कार्यदायी संस्था द्वारा प्राप्त धनराशि का 80 प्रतिशत उपयोग करने के उपरान्त अगले दो माह के लिए पुन: आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरित कर दी जायेगी। इसका अनुपालन महानिदेशक, पर्यटन द्वारा सुनिश्चित कराया जायेगा।

(6) प्रश्नगत परियोजना में होने वाले निर्माण कार्य के सम्बन्ध में यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि निर्माण कार्य आगणन के अनुरूप उसके तकनीकी अनुमोदन के अनुसार किया किया गया है तथा परियोजना को कार्यदायी संस्था से हस्तगत कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण करा लिया जायेगा एवं निर्मित परिसम्पत्ति का समुचित रख-रखाव सुनिश्चित किया जायेगा एवं इसकी अद्यतन प्रगति रिपोर्ट ई-परियोजनाओं की समीक्षा के पोर्टल पर अंकित कराते हुए शासन को अवगत कराया जायेगा।

(7) परियोजना में टाइम ओवर-रन/कास्ट ओवर-रन को नियन्त्रित करने के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-07/2017/बी-1-823/दस-2017-एम-04/2017 दिनांक 21 जून, 2017 में दिये गये निर्देशों तथा बजट मैनुअल के प्रस्तर-212 (**VII**) में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(8) परियोजना में निर्माण कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी। स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भी निर्धारित प्रपत्र पर सक्षम स्तर से शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। सोशल आडिट से सम्बन्धित व्यवस्था/नियमों का भी पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। परियोजना में निर्माण कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी।

(9) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपरोक्तांकित स्वीकृत योजनान्तर्गत कार्यों हेतु किसी अन्य स्रोतों से धनराशि प्राप्त न की गयी हो। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इस योजना की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो और इसके रख-रखाव हेतु राज्य सरकार के ऊपर व्यय-भार न पड़े। कार्यदायी संस्था से कार्य की समाप्ति के पश्चात सम्प्रेक्षित लेखे अनिवार्य रूप से प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जाय।

(10) अवमुक्त की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को बैंक खाते आदि में नही रखा जायेगा। कार्यदायी संस्था द्वारा शासकीय धन पर यदि ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे अनिवार्य रूप से राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जाय। यह भी अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि आगणन में बाट आउट एवं प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्यों पर सेन्टेज का भुगतान अनुमन्य न किया जाय। इसका अनुपालन पर्यटन निदेशालय एवं कार्यदायी संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(11) प्रायोजना में चतुर्थ किश्त की वित्तीय स्वीकृति कार्यदायी संस्था एवं पर्यटन निदेशालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना/विवरण के आधार पर प्रदान की जा रही है। यदि परियोजना के मानक के सम्बन्ध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका पूर्ण उत्तदायित्व कार्यदायी संस्था एवं पर्यटन निदेशालय एवं क्षेत्रीय अधिकारियों का होगा। प्रश्नगत परियोजना हेतु अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष वास्तविक रूप से व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र/कार्य की गुणवत्ता एवं फोटोग्राफ्स आदि सक्षम स्तर से प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(12) महानिदेशक पर्यटन द्वारा कार्य पूर्ण होने के उपरान्त कार्यदायी संस्था से सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त किये जायेंगे।

4- प्रस्तर-3 में प्रदान की जा रही वित्तीय स्वीकृति की धनराशि पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-44 के अन्तर्गत लेखाशीर्ष-5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय-80-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

सामान्य-104-संवर्धन तथा प्रचार-08 मुख्यमंत्री पर्यटन स्थलों का विकास-24-वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-10/2020/बी-1-564/दस-2020-231/2020, दिनांक 29 सितम्बर, 2020 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित वित्तीय अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(शिव पाल सिंह)
विशेष सचिव ।

संख्या-288/2020/4329(1)/41-2020-02(बजट)/2018 तद्दिनॉक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0।
4- जिलाधिकारी, हरिद्वार, उत्तराखण्ड।
5- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0, लखनऊ।
6- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
8- उप निदेशक, पर्यटन निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ
9- प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ।
10- अपर परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, इकाई-2-देहरादून।
11- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7।
12- क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी, मेरठ।
13- वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग।
14- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(गिरिजापति द्विवेदी)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।